रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 2010/चैत्र 15, 1932

No. 89] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2010/CHAITRA 15, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2009

फा. सं. ए-49011/6/2009-ई.ए.—कृषि मूल्य आयोग को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के दिनांक 8-1-1965 के संकल्प सं. 6-2/65-सी.ई. द्वारा स्थापित किया गया था। दिनांक 18 मार्च, 1965 के संकल्प सं. 14028/1/85-आर्थिक प्रशासन के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) कर दिया गया था।

आयोग के विचारार्थ विषय मूल रूप से उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 8-1-1915 के संकल्प में निर्धारित किए गए थे और इन्हें बाद में कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के दिनांक 5-3-1980 के संकल्प सं. 14011/2/78-आर्थिक नीति के द्वारा संशोधित किया गया। परिवर्तित हो रहे नीतिगत परिदृश्य में विचारार्थ मुद्दों की समीक्षा की गई है और सरकार ने विचारार्थ मुद्दों को जोड़ने/संशोधित करने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, आयोग के विचारार्थ मुद्दे निम्नवत होंगे:

1. धान/चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, तुर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तोरिया, सरसों, कपास, पटसन, तम्बाकू, तिल, रामतिल, मसूर, कुसुम, खोपरा और ऐसी अन्य जिन्सों जैसा कि सरकार समय-समय पर निर्णय लेगी, की मूल्य नीति पर सलाह देना जिससे कि अर्थ व्यवस्था की समग्र जरूरतों के परिपेक्ष में संतुलित और एकीकृत मूल्य ढांचा विकसित किया जा सके और उत्पादक व उपभोक्ता के हितों का उचित ध्यान रखा जा सके।

2. मूल्य नीति और प्रासंगिक मूल्य ढांचे की सिफारिश करते समय आयोग निम्नलिखित का ध्यान रखेगा:—

(क) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आलोक में मोटे तौर पर उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए तथा उत्पादन पैटर्न का विकास करने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन मुहैया कराये जाने की जरूरत।

(ख) भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किये जाने की जरूरत।

(ग) मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था पर विशेष कर जीवन यापन लागत, मजदूरी के स्तर, कृषि आधारित उत्पादों के लागत ढ़ांचे और कृषि व कृषि आधारित जिन्सों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर संभावित प्रभाव।

3. आयोग ऋण नीति, फसल और आय बीमा तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित ऐसे गैर-मूल्य उपायों का भी सुझाव दे जो उपर्युक्त एक में निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धियों को सरल व कारगर बनाये।

4. मूल्य नीति को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कृषि जिन्सों के संबंध में समय-समय पर आवश्यक उपायों का सुझाव देना।

5. कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखना।

6. जहां आवश्यक हो विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जिन्सों के विभाग की प्रचालित पद्धतियों और लागत की जांच करना, विपणन की लागत को कम करने के उपाय सुझाना तथा विपणन के विभिन्न चरणों के लिए उचित मूल्य की सिफारिश करना।

7. मूल्य की बन रही स्थिति को समीक्षाधीन रखना और जब भी जहां भी जरूरी हो समग्र मूल्य नीति के ढांचे के भीतर समुचित सिफारिशें करना।

8. सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित विभिन्न फसलों के संबंध में अध्ययन करना।

9. मूल्य नीति से संबंधित अध्ययनों को समीक्षाधीन रखना और कृषि मूल्यों और अन्य संबंधित आंकड़ों के संबंध में सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था करना तथा उसमें सुधारों का सुझाव देना, तथा मूल्य नीति के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना।

10. कृषि मूल्यों और उत्पादन से संबंधित ऐसी किन्हीं भी समस्याओं जो सरकार द्वारा समय-समय पर इसे भेजी जाए, पर सलाह देना।

11. संस्तुत गैर-मूल्य उपायों को मूल्य सिफारिशों के साथ प्रभावी रूप से समन्वित करना और प्रतिस्पर्धात्मक कृषि सुनिश्चित करना।

आयोग भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम सहित मूल्यों और उत्पादन पर प्रभाव डालने से संबंधित मामलों को देख रही अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी संबंध बनाए रखेगा।

आयोग अपनी प्रक्रियाएं स्वयं निर्धारित करेगा। वह सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों से अपने कार्य से संबंधित नोट्स, ज्ञापन अध्ययनों के परिणाम आंकड़े तथा अन्य कोई संगत सामग्री मांगने के लिए स्वतंत्र होगा और उनके साथ विचार विमर्श करेगा।

जब भी जरूरी हो आयोग विभिन्न जिन्सों अथवा उनके समूहों के संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

टी. नन्द कुमार, सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th August, 2009

F. No. A-49011/6/2009-EA.—The Agriculture Prices Commission was set up *vide* Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture) Resolution No. 6-2/65-C(E), dated 8-1-1965. This was renamed as Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) *vide* Resolution No. 14028/1/85-Econ. Admn., dated the 18th March, 1985.

The Terms of Reference of the Commission, were originally set out in the Resolution dated 8-1-1965, referred to above and subsequently revised vide Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation's) Resolution No.14011/2/78-Econ.Py. dated 5-3-1980. The Terms of Reference have been reviewed in the changing policy paradigm and Government has decided to add/revise TORs.

Accordingly, Terms of Reference of the Commission would be as under :

1. To advise on the price policy of paddy/rice, wheat, jowar, bajra, maize, ragi, barely, gram, tur, moong, urad, sugarcane, ground nut, soyabean, sunflower seed, rapeseed, mustard, cotton, jute, tobacco, sesamum, nigerseed, lentil (masur), safflower, copra and such other commodities as the Government may decide from time to time, with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall needs of the economy and with due regard to the interests of the producer and the consumer.

2. While recommending the price policy and the relative price structure, the Commission may keep in view the following :—

(a) The need to provide incentive to the producer for adopting improved technology and for developing a production pattern broadly in the light of national requirements.

(b) The need to ensure rational utilisation of land, water and other production resources.

(c) The likely effect of the price policy on rest of the economy, particularly on the cost of living, level of wages, cost structure of agro-based products and the competitiveness of agriculture and agro-based commodities.

3. The Commission may also suggest such non-price measures related to credit policy, crop and income insurance and other sectors as would facilitate the achievements of the objectives set out in 1 above.

4. To recommend from time to time, in respect of different agricultural commodities, measures necessary to make the price policy effective.

5. To take into account the changes in terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors.

6. To examine, where necessary, the prevailing methods and cost of marketing of agricultural commodities in different regions, suggest measures to reduce costs of marketing and recommend fair price margins for different stages of marketing.

7. To keep under review the developing price situation and to make appropriate recommendations, as and when necessary, within the framework of the overall price policy.

8. To undertake studies in respect of different crops as may be prescribed by Government from time to time.

9. To keep under review studies relating to the price policy and arrangements for collection of information regarding agricultural prices and other related data and suggest improvements in the same, and to organise research studies in the field of price policy.

10. To advise on any problems relating to agricultural prices and production that may be referred to it by Government from time to time.

11. To effectively integrate the recommended non-price measures with price recommendations and to ensure competitive agriculture.

The Commission will maintain close touch with other agencies dealing with matters having a bearing on prices and production, including the Food Corporation of India, the Cotton Corporation of India and the Jute Corporation of India.

The Commission will determine its own procedures. It will be free to call for notes, memoranda, results of studies, data and any other material relevant to its work from official and non-official bodies and hold discussions with them.

The Commission will submit reports to Government as and when necessary in respect of different commodities or groups thereof.

T. NANDA KUMAR, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.